कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1079 / 2021 / 10–11 / 2219 भोपाल, दिनांक 30-05-23

प्रेषकः–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– रतलाम जिले में रतलाम–बाजना–कुशलगढ़ मार्ग चौड़ीकरण / उन्नयनीकरण हेतु 3.376 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, रतलाम को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 6-MPB 095/2021-BHO दिनांक 25.05.2023

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण में हुए उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों / प्राधिकरण की विस्तृत जानकारी चाही है।

उपरोक्त प्रकरण में हुए उल्लंघन की विस्तृत जानकारी कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 1358 दिनांक 05.04.2023 को आपको प्रेषित कर वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3A and/ or 3B के तहत दोषी अधिकारियों विरूद्ध कार्यवाही करने एवं प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने हेतु लेख किया गया था, सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति पुनः संलग्न प्रेषित है।

प्रकरण में हुए उल्लंघन हेतु आवेदक संस्थान के जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम निम्नानुसार हैः–

1– श्री मनोज कुमार सक्सेना, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, रतलाम।

2– श्री रमेश भूरिया, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग, उप संभाग सैलाना।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

30/5/2023

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1079 / 2021 / 10–11 / 2220 भोपाल, दिनांक 30-05-23

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), उज्जैन, वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, रतलाम, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, हाथीखाना रोड, रतलाम, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

30/5/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

E:\Rakesh\2023\1GOI 23-05-2023 to.docx

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1079 / 2021 / 10–11 / 1358 भोपाल, दिनांक 5/4/23

प्रेषकः–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– रतलाम जिले में रतलाम–बाजना–कुशलगढ़ मार्ग चौड़ीकरण / उन्नयनीकरण हेतु 3.376 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, रतलाम को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– REC की बैठक दिनांक 22.02.2023

----0----

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण की REC की बैठक दिनांक 22.02.2023 में चर्चा की गई। बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार निम्न जानकारी आपके द्वारा चाही गई हैः–

The User Agency has constructed part of the road (area 0.0285 ha) without approval of competent authority. The State Forest Department shall submit compliance in accordance with clause 1.21 of FCA guidelines so as to enable this office to initiate action under 3A & 3B of F (C) A, 1980

प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा वर्ष 2016 में रतलाम वन मण्डल के कक्ष क्रमांक पी–150 में बिना अनुमति के 163 मीटर लम्बाई एवं 5.50 मीटर चौड़ाई इस प्रकार कुल 0.089 हेक्टेयर में मार्ग निर्माण का कार्य किया गया है।

उक्त मार्ग वर्ष 1980 के पूर्व का निर्मित होने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा उक्त भूमि राजस्व भूमि मानकार अज्ञानतावश कार्य किया गया था। वन मण्डलाधिकारी रतलाम के संज्ञान में आने पर तुरंत मार्ग निर्माण का कार्य बंद कर दिया गया। तत्समय उक्त उल्लंघन हेतु वन अपराध प्रकरण दर्ज नहीं किया गया था।

इसके पश्चात आवेदक संस्थान द्वारा दिनांक 29.06.2019 को उक्त मार्ग निर्माण हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया। कार्यालयीन एवं राज्य शासन की अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव आपको अनुमोदन हेतु भेजा गया। प्रकरण में आपके द्वारा उल्लंघन में दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रकरण में हुए उल्लंघन की संक्षेपिका रतलाम से प्राप्त कर राज्य शासन एवं आपको प्रेषित की गई। राज्य शासन द्वारा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उपरोक्त वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3A and/ or 3B में उल्लंघन हेतु दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही के अधिकार आपको हैं। अतः प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अनुरोध है।

–2–

यह कार्य जन उपयोगी है। इस मार्ग पर आवागमन काफी बढ़ने के कारण इस मार्ग को चौड़ा करना आवश्यक है। अतः प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करते हुए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही सामान्तर रूप से जारी रखने का अनुरोध है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय

05/04/2023

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1079 / 2021 / 10–11 / 1359 — भोपाल, दिनांक 5/4/23

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), उज्जैन, वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, रतलाम, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, हाथीखाना रोड, रतलाम, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

05/04/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रतलाम

सागोद रोड़, रतलाम (म.प्र.)

टैलीफैक्स नं. (07412) 270418 E-mail Address - dfotrtlam@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2023 / 1120 रतलाम, दिनांक : 21–03–2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन
म.प्र. भोपाल

विषय :– रतलाम जिले में रतलाम–बाजना–कुशलगढ़ मार्ग चौड़ीकरण / उन्नयनीकरण हेतु 3.376 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, रतलाम को उपयोग पर देने बाबत्।

सन्दर्भ :– आपका पत्र क्र. / एफ–5 / 1079 / 2021 / 10–11 / 1122 दिनांक 15–03–2023

–xxx–

विषयांकित सन्दर्भ में निवेदन है कि भारत सरकार की स्वीकृति के बिना लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम रतलाम–बाजना–कुशलगढ़ मार्ग चौड़ीकरण / उन्नयनीकरण निर्माण कार्य किया गया है, जिसकी बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :–

बिन्दु क्र. 01 – प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा 29–06–2019 में ऑनलाईन आवेदन किया गया है। क्योकि आवेदक विभाग पूर्व निर्माण मार्ग को अपना PWD मार्ग मानता था। आवेदक विभाग को इस कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि मार्ग के आंशिक भाग वन भूमि पर होकर गुजरता हैं। यह अवगत कराये जाने पर ही प्रकरण आनलाईन दिनांक 29–06–2019 को आवेदन किया गया इसके पूर्व वन भूमि मानने को तैयार ही नहीं थे। (पत्र संलग्न है)

बिन्दु क्र. 02 – आवेदक विभाग लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम द्वारा उनके पत्र क्रमांक / 2066 / SAC / 2016–17 दिनांक 10–08–2016 से वर्क आर्डर ठेकेदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (PWD) सैलाना एवं रतलाम को आदेश जारी किया गया था। (छायाप्रति संलग्न)

प्रकरण में तत्कालीन वन परिक्षेत्राधिकारी रतलाम में पत्र क्र. / मा.चि. / 2017 / 2176 दिनांक 08–12–2017 से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार लगभग 06 माह पूर्व (अर्थात फरवरी 2017 से मई 2017 तक) की अवधि में सीसी मार्ग निर्माण कार्य वन क्षेत्र में पूर्ण किया गया था। वन क्षेत्र में कार्य पूर्ण किया जा चुका था। वन परिक्षेत्र अधिकारी रतलाम द्वारा कार्य बन्द नही कराया गया है। क्योंकि वन कक्ष क्र. पी–150 में सी.सी.मार्ग का कार्य पूर्ण हो चुका था।

बिन्दु क्र. 03 – उक्त प्रकरण में तत्कालीन वन परिक्षेत्राधिकारी रतलाम द्वारा प्रकरण पी.ओ.आर. जारी नही की गई है।

अतः चाही गई जानकारी का प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वन संरक्षक एवं
पदेन वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

क्रमांक / मा.चि. / 2023 / .... रतलाम, दिनांक : ....–03–2023

प्रतिलिपि :–

01 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

02 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रतलाम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक एवं
पदेन वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

767
29/3/23

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\Division Data\Machi\Letter(Machi-2023).doc

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग
संभाग रतलाम

web site : www.mp.gov.in/pwdmp email: eepwdratlam@mp.nic.in
Phone- 07412-270437] Fax -232445

क्रमांक ..../टी.एस./22–23/ रतलाम दिनांक.....................

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश
भोपाल

संशोधित पत्र

विषय– रतलाम जिले में रतलाम–बाजना–कुलशगढ़ मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण हेतु 3.376 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, रतलाम को उपयोग पर देने बाबत्।

सन्दर्भ–1) आपका पत्र क्रमांक एफ–5/1079/2021/10–11/1566 भोपाल दिनांक 04.05.2022

2) आपका पत्र क्रमांक एफ–5/1079/2021/10–11/1563 भोपाल दिनांक 04.05.2022

3) श्री हरे राम कुमार, (तकनीकी अधिकारी), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 6-MPB 095/2021-BHO/ Date 15-03-2022

4) वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल रतलाम का पत्र क्रमांक/मा.चि./2022/386/ रतलाम दिनांक 28.01.2022

5) इस कार्यालय का पत्र क्र. 1830/टी.एस./22–23 रतलाम दिनांक 05.05.2022

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्र 1 के अनुक्रम में निवेदन है कि रतलाम जिले में रतलाम–बाजना–कुलशगढ़ मार्ग में वनक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी.एफ.–150 में 0.089 हेक्टेयर वनभूमि में किये गये कार्य में उल्लंघन हेतु दोषी के विरूद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी चाही गई है।

श्रीमान अवगत हो कि विद्यमान मार्ग 3.75 मी. चौड़ाई में वर्ष 1980 के पूर्व का निर्मित होकर लोक निर्माण विभाग की पुस्तिका में दर्ज होकर मुख्य जिला मार्ग की श्रेणी का है। इस क्षेत्र की सर्वे ऑफ इंडिया वर्ष 1970–71 की टोपोशीट क्रमांक 46 I/15 जिसमें मार्ग (Road) प्रदर्शित हो रहा है। विभाग द्वारा मार्ग का नवीन निर्माण न करके उन्नयन कार्य किया गया है एवं शेष लंबाई में किया जाना है। यह दो राज्यों की सीमाओं को जोड़ने वाला मुख्य जिला मार्ग है।

मार्ग उन्नयन के दौरान वनक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी.एफ.–150 में उल्लंघन की गई लंबाई में वनभूमि की जानकारी ना होने से अज्ञानतावश कार्य सम्पादित हो गया है। वनक्षेत्र ज्ञात होने पर तत्काल कार्य बंद कर दिया गया है, जो आज दिनांक तक बंद है।

संदर्भित पत्र क्रमांक 03 से तकनीकी अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा वनक्षेत्र में बिना अनुमति के कार्य करने के संबंध में वस्तुस्थिति चाही गई थी। जिसके अनुक्रम में लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर पर वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल रतलाम द्वारा सहमत होते हुए संदर्भित पत्र क्रमांक 4 में ***"लोक निर्माण विभाग को वनभूमि की जानकारी न होने"*** के संबंध में अपना अभिमत दिया गया है।

निरंतर............2

संशोधित पत्र

स्पष्ट है कि उक्त मार्ग लोक निर्माण विभाग का वर्ष 1980 के पूर्व का निर्मित होकर मुख्य जिला मार्ग की श्रेणी का अंतर्राज्यीय मार्ग है, जिसमें नवीन निर्माण कार्य न करते हुए केवल उन्नयन कार्य किया गया है। अज्ञानतावश कक्ष क्रमांक पी.एफ.–150 में 0.089 हेक्टेयर वनभूमि में निर्माण कार्य सम्पादित किया गया है, जानबूझ कर वनक्षेत्र में उल्लंघन नहीं किया गया है। यदि उक्त कक्ष में विभाग को वनक्षेत्र की जानकारी होती तो, लोक निर्माण विभाग द्वारा यह त्रुटि नहीं की जाती एवं कार्य को तुरंत बंद कर कार्य करने की विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुमति प्राप्त कर निर्माण कार्य किया जाता, जैसा कि वर्तमान यह प्रकरण अनुमति हेतु प्रचलित है। फिर भी प्रकरण में वनक्षेत्र में बिना अनुमति के कार्य किए जाने हेतु निर्माण कार्य में संलग्न उपयंत्री को ***"कारण बताओं सूचना–पत्र"*** जारी किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।

निवेदन है कि वर्तमान में मार्ग का उन्नयन कार्य वन विभाग से अनुमति प्राप्त ना होने के कारण बंद है। जिससे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों द्वारा धरना प्रदर्शन एवं चक्काजाम किया जा जाकर, ताकि मार्ग का उन्नयन कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के संबंध में जनप्रतिनिधियों को आवेदन/ज्ञापन दिया जा रहे है। स्थानीय जन प्रतिनिधियों (माननीय जिला प्रभारी मंत्री, म.प्र. शासन, माननीय विधायक, माननीय सांसद) द्वारा प्रतिमाह कार्य की समीक्षा की जाकर शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा प्रकरण की सतत् मॉनीटरिंग की जाकर प्रति सप्ताह टी.एल. की बैठक में आवश्यक निर्देश दिए जा रहे है।

प्रकरण में चाही गई समस्त जानकारियों की पूर्ति विभाग द्वारा कर दी गई है। अतः अनुरोध है कि वनक्षेत्र में मार्ग के उन्नयन कार्य की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम (म.प्र.)

पृ. क्रमांक 1849 /टी.एस./22–23/ रतलाम दिनांक 06/05/2022

प्रतिलिपिः–

1) श्री हरे राम कुमार, (तकनीकी अधिकारी), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की ओर संदर्भित पत्र क्रमांक 3 एवं 4 के अनुक्रम में प्रेषित।
2) वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल रतलाम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3) अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग सैलाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

06/05/22

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम (म.प्र.)

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल, रतलाम 2983 9/5/22

स्थापना/आय/लेखा/मा.चि./संरक्षण
निरीक्षण/अनुसंधान/पु.सै.
वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

9/5/2022

D:/TS/Letter 1

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
P.W.D. DIVISION RATLAM

web site www.mp.gov.in/pwdmp email eepwdratlam@mp.nic.in
Phone 07412-270437 Fax -232445

No. ____________/SAC/ 2016-17

Ratlam Dated :-

WORK ORDER

To,

Ashish Infracon Pvt. Ltd.
602, Indraprasth Corporate,
Opp. Shell Petrop Pump – Opp. Vinus Atlantis,
Prahladnagar, Ahmedabad - 380015
Email: bhumika.patel@ashishinfracon.com
bijendra.patel@ashishinfracon.com
Phone – 9099915590/91

Sub: 1) Upgradation of Ratlam-Bajna-Kushalgarh Road (Upto Rajasthan Border) Length 56.00 Km. Online Tender No. – 27635, NIT No. 03 Date 25-04-2016
2) PAC – Rs. 10974.07 Lacs
3) Sanction Rate 24.42% Below Road SOR W.E.F. 03-11-2014

Ref:- Agreement No. 32/ 2016-17

As you have submitted the performance guarantee & addl. performance guarantee executed the agreement as on today i.e. 10/08/2016 with the undersigned on behalf of the governor of M.P. so you are hereby requested to start the work in consultation with the Sub Divisional officer concern and finish the same with in stipulated time limit of 24 months including rainy season from the date of issue of this memo & as per tender agreement.

Encl: Copy of agreement.

Sd/-
Executive Engineer
P.W.D. Division
Ratlam – 457 001 (M.P.)

Endt. No. 2066 /SAC/ 2016-17

Ratlam Dated :- 10/8/16

Copy forwarded to :-

1. The Chief Engineer, P.W.D. Ujjain Zone .
2. The Collector district Ratlam
3. The Employment officer, District Ratlam
4. The Minimum wages inspector, labour Sub-Division Ratlam
5. The Sub-Divisional officer P.W.D. Sub-Division Sailana & Ratlam km 1 to 10 for information and necessary action. The date of commencement and completion of work may be intimated to this office. The agreement No 32/ /2016
6. Shri C. P. Dubey & Ramesh Sub-Engineer, Through S.D.O. P.W.D. Sub Division Sailana. Ratlam. Bhwin.
7. Auditor Sailana & Ratlam km 1 to 10 of this office.

Encl: Copy of schedule No. 642 dt 17-8-2016

Executive Engineer
P.W.D. Division
Ratlam – 457 001 (M.P.)

TRUE COPY

DIVISIONAL FOREST OFFICER
TERRITORIAL DIVISION
RATLAM (M.P.)

(A.K. JAIN)
SAILANA
DIST. RATLAM (M.P.)

18/8/16

प्रतिलिपि, माननीय विधायिका महोदया श्रीमती संगीता चारेल विधायक सैलाना जिला रतलाम की ओर अवलोकनार्थ [illegible] प्रेषित किया जाता है कि रतलाम [illegible] मार्ग का सीमेंट कांक्रीट से सड़क [illegible] प्राप्त हुआ है जो आपको और सूचनार्थ [illegible]

कार्यालय वनपरिक्षैत्राधिकारी, वनपरिक्षैत्र, रतलाम

सागोद रोड़, रतलाम (म.प्र.)

टैलीफोन नं. (07412) 236321 Email ID- Rotratlam@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि / 2017 / 2175 रतलाम, दिनांक : / 12 / 2017

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
सम्भाग रतलाम (म.प्र)

विषयः– रतलाम बाजना कुशलगढ रोड़(राजस्थान सीमा तक) लंबाई 56.00 किमी निर्माण कार्य बाबत्

संदर्भः– वन मण्डलाधिकारी रतलाम का पत्र पत्र क्र / 3940 दिनांक 04.11..2017

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुरोध है, कि आपके द्वारा द्वारा, रतलाम बाजना कुशलगढ रोड़(राजस्थान सीमा तक) लंबाई 56.00 किमी निर्माण कार्य हेतु अनुमति चाही गयी थी। जिसकी जांच कार्यवाही प्रचलित है। प्रस्तावित मार्ग वन परिक्षेत्र रतलाम की बीट पलसोडी के कक्ष क्र पी–150 में लगभग 150 मीटर से गुजरता है, परिक्षेत्र रतलाम के उपरोक्त संरक्षित वन क्षेत्र पी–150 में लगभग छः माह पूर्व सी.सी. रोड़ का निर्माण बिना अनुमति के किया जा चुका है। इस संबंध में आपको अगर कोई स्वीकृति प्राप्त हुई हो, तो अवगत कराने का कष्ट करे। यदि यह निर्माण कार्य बिना अनुमति के किया गया है, तो यह वन अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा इस संबंध में तत्काल संबंधित निर्माण ऐजेंसी के विरूद्ध वन अधिनियम के उल्लंघन संबंधी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है,

अतः आप रतलाम बाजना कुशलगढ रोड़(राजस्थान सीमा तक) लंबाई 56. किमी निर्माण संबंधी स्वीकृति प्राप्त हुई है, तो स्वीकृति की प्रति तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। या वन अधिनियम के उल्लंघन करने वाली निर्माण ऐजेंसी का नाम उपलब्ध कराने का कष्ट करे, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

कृपया सुनिश्चित करे।

Sd
वन परिक्षेत्राधिकारी
रतलाम

मा.चि.

क्रमांक / मा.चि. / 2017 / 2176 रतलाम, दिनांक 8 / 12 / 2017

प्रतिलिपिः–

1– वनमण्डलाधिकारी रतलाम की ओर अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

2– 35 वनमण्डलाधिकारी उपवनमण्डल रतलाम की ओर अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

वन परिक्षेत्राधिकारी
रतलाम

16443
11/12/17

(123)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1079 / 2021 / 10–11 / 4173 भोपाल, दिनांक 8/12/22

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– रतलाम जिले में रतलाम–बाजना–कुशलगढ़ मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण हेतु 3.376 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, रतलाम को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 6-MPB 095/2021-BHO/ दिनांक 25.08.2022

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में हुए उल्लंघन के संबंध में जानकारी चाही गई है।

प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम की संक्षेपिका वन मण्डलाधिकारी रतलाम ने अपने पत्र दिनांक 30.08.2022 से उपलब्ध कराई गई है, छायाप्रति संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करने वाले आवेदक संस्थान के अधिकारियों पर कार्यवाही करने हेतु राज्य शासन को अधिकार प्रदत्त नहीं है। प्रकरण में राज्य शासन से कार्यवाही करने हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। वन विभाग के दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर दिया गया है।

अतः प्रकरण में चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की स्वीकृति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

8/12/2022

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1079 / 2021 / 10–11 / 4174 भोपाल, दिनांक 8/12/22

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), उज्जैन, वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, रतलाम, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, हाथीखाना रोड, रतलाम, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

8/12/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

(124)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रतलाम

सागोद रोड़, रतलाम (म.प्र.)

टैलीफैक्स नं. (07412) 270418 E-mail Address - dfotrtlam@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2022 / 3574 रतलाम, दिनांक : 30–08–2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू प्रबंध)
म.प्र. भोपाल

विषय :– रतलाम जिले में रतलाम–बाजना–कुशलगढ मार्ग चौडीकरण / उन्नयनीकरण हेतु 3.376 हेक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग रतलाम को उपयोग पर देने बाबत्।

सन्दर्भ :– आपका पत्र कमांक / एफ–5 / 1079 / 2021 / 10–11 / 2920 दिनांक 23–08–2022 एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रतलाम कापत्र क्र. / 3313 / टी.एस. / 2022–23 दिनांक 26–08–2022

–0–

विषयांकित संदर्भ में निवेदन है कि रतलाम–बाजना–कुशलगढ मार्ग चौडीकरण / उन्नयनीकरण प्रकरण में आवेदक संस्था लोक निर्माण विभाग, रतलाम द्वारा वन क्षेत्र पी–150 में मार्ग निर्माण बिना अनुमति लम्बाई 163 मीटर चौड़ाई 5.50 मीटर इस प्रकार 0.089 हेक्टेयर में सी. सी. मार्ग निर्माण होने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन कार्य करने संबंधित अधिकारी का नाम पद आदि की जानकारी निर्धारित प्रारूप संक्षेपिका में तैयार कर संलग्न अवलोकन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

क्रमांक / मा.चि. / 2022 / .... रतलाम, दिनांक : ....

प्रतिलिपि :–

01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर उल्लंघन संबंधी संक्षेपिका प्रारूप आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
02. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रतलाम की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

विविध

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्या. अ.प्र.मु.व.सं. (भू.प्र.)
आवक क्रमांक 1756
10/9/22

\\division\D\Division Data\Machi\Letter(Machi-2022).doc

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के भाग (II) के उल्लंघन की जानकारी की संक्षेपिका

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन की संक्षेपिका निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार है :–

<table>
<tr><th>अ.क्र.</th><th>विवरण</th><th colspan="4">बिन्दुवार प्रतिवेदन</th></tr>
<tr><td>01</td><td>02</td><td colspan="4">03</td></tr>
<tr><td>1</td><td>परियोजना का नाम</td><td colspan="4">रतलाम–बाजना–कुशलगढ़ मार्ग का उन्यनीकरण/चौड़ीकरण परियोजना</td></tr>
<tr><td>2</td><td>वनक्षेत्र का नाम</td><td colspan="4">वनमण्डल रतलाम, वनपरिक्षेत्र रतलाम, वनखण्ड साम्भरखो–एफ, वन कक्ष क्र. पी–150 में बिना अनुमति के मार्ग निर्माण कार्य किया गया है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>उल्लंघन हेतु कार्य स्वीकृति देने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं स्वीकृति आदेश की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि</td><td colspan="4">01 श्री मनोज कुमार सक्सेना, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग रतलाम</td></tr>
<tr><td>4</td><td>कार्य क्रियान्वित करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम</td><td colspan="4">श्री रमेश भूरिया, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग सैलाना</td></tr>
<tr><td>5</td><td>विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही एवं अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि</td><td colspan="4">वनमण्डल रतलाम द्वारा परिक्षेत्र सहायक रतलाम श्री किशन सिंह तवंर एवं बीटगार्ड पलसोड़ी श्री बेनेडीग एन्थोनी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया, तथा तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी रतलाम श्री ए.के. नागोरिया को स्पष्टीकरण जारी कर उल्लंघन संबंधी जानकारी प्राप्त कर उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग को तत्काल प्रभाव से कार्य बंद कराने पत्र जारी किया गया।</td></tr>
<tr><td rowspan="5">6</td><td rowspan="5">उल्लंघन अवधि के दौरान वनरक्षक से वनमंडलाधिकारी स्तर तक के नाम एवं पदस्थापना अवधि</td><td>क्र.</td><td>अधिकारी/कर्मचारी का नाम</td><td>पदनाम</td><td>अवधि</td></tr>
<tr><td>01</td><td>श्री क्षितिज कुमार भा.व.से.</td><td>तत्कालीन व.म.अ.</td><td>04–08–2017 से 9–08–2018 तक</td></tr>
<tr><td>02</td><td>श्री भगवती पवांर</td><td>तत्कालीन उप व. म.अ.</td><td>02–09–2013 से 31–10–2017 तक सेवानिवृत</td></tr>
<tr><td>04</td><td>श्री आजाद कुमार नागोरिया</td><td>तत्कालीन प्रभारी व.प.अ. रतलाम</td><td>01–02–2017 से 25–09–2017 तक</td></tr>
<tr><td>05</td><td>श्री किशन सिंह तंवर</td><td>तत्कालीन वनपाल, परिक्षेत्र सहायक रतलाम</td><td>10–02–2014 से 31–07–2020 तक सेवानिवृत</td></tr>
</table>

125

		06	श्री बेनेडिक एन्थोनी	तत्कालीन बीटगार्ड पलसोड़	01–05–2013 से 20–02–2019 तक

7	प्रकरण की संक्षिप्त टीप	वनमण्डल रतलाम, वनपरिक्षेत्र रतलाम, वनखण्ड साम्भरखो–एफ, वन कक्ष क्र. पी–150 में बिना अनुमति के मार्ग निर्माण कार्य माह फरवरी 2017 से मई 2017 तक की अनुमानित अवधि में किया गया है। रतलाम–बाजना–कुशलगढ़ मार्ग लम्बाई 56.00 किमी. वर्ष 1980 का निर्मित हाकर वनक्षेत्र में 3.75 मीटर चौड़ाई में डामरीकृत था। मार्ग के चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण हेतु वनक्षेत्र में लम्बाई 163 मीटर एवं चौडाई 5.50 मीटर सी.सी. मार्ग निर्माण कर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में:–

1	उन्नयन कार्य में वनक्षेत्र में उल्लंघित लम्बाई	163meter
2	वनक्षेत्र में उन्नयन कार्य अन्तर्गत उल्लंघित कार्य का क्षेत्रफल	163X5.50=896.50 Sq.meter
3	वनक्षेत्र में पूर्व में किये गये कार्य का क्षेत्रफल	163X3.75 =611.25 Sq.meter
4	शुद्ध उल्लंघित क्षेत्रफल	896.50-611.25=285.25 Sq.meter

8	वनसंरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के परिपेक्ष्य मे क्षेत्र मे हुआ कार्य एवं कार्य की वर्तमान स्थिति	लोक निर्माण विभाग रतलाम द्वारा वनक्षेत्र पी–150 में सी.सी. मार्ग निर्माण कार्य बिना अनुमति के कार्य पूर्ण किया गया है। तथा शेष वनक्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत किये गये है।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार (पृ.क्र, 01से........तक)

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

126

(127)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग
संभाग रतलाम

web site : www.mp.gov.in/pwdmp email: eepwdratlam@mp.nic.in
Phone- 07412-270437] Fax -232445

क्रमांक 3313 / टी.एस. / 22—23 / रतलाम दिनांक 26-08-2022

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
वन विभाग रतलाम

विषय— रतलाम जिले में रतलाम—बाजना—कुलशगढ़ मार्ग चौड़ीकरण / उन्नयनीकरण हेतु 3.376 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, रतलाम को उपयोग पर देने बाबत।

सन्दर्भ— प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल पत्र क्रमांक / एफ—5 / 1079 / 2021 / 10—11 / 2920 भोपाल दिनांक 23.08.2022

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत रतलाम जिले में रतलाम—बाजना—कुलशगढ़ मार्ग चौड़ीकरण / उन्नयनीकरण कार्य हेतु संदर्भित पत्र से चाही गई निम्नानुसार जानकारी संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है।

1. संबंधित उपयंत्री को जारी कारण बताओं सूचना पत्र का स्पष्टीकरण।
2. कार्यादेश की छायाप्रति एवं कार्यादेश जारी करने वाले अधिकारी का नाम :— (श्री मनोज कुमार सक्सेना, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री लोनिवि संभाग रतलाम)

संबंधित उपयंत्री को भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी की पुर्नावृत्ति ना हो, इस संबंध में अंतिम चेतावनी दी गई।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम (म.प्र.)

पृ. क्रमांक................. / टी.एस. / 22—23 रतलाम दिनांक....................

प्रतिलिपिः— अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग सैलाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम (म.प्र.)

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल रतलाम
क्र. 5653
दि. 28/8/22

स्थापना / लेखा / स्टेनो / ... / ...
निरीक्षण / ... / ...
... अधिकारी रतलाम
26/08

TRUE COPY

DIVISIONAL FOREST OFFICER
TERRITORIAL DIVISION
RATLAM (M.P.)

(2)

128

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
P.W.D. DIVISION RATLAM

web site www.mp.gov.in/pwdmp
email eepwdratlam@mp.nic.in
Phone 07412-270437 Fax -232445

No. ____________/SAC/ 2016-17

Ratlam Dated :-

WORK ORDER

To,

Ashish Infracon Pvt. Ltd.
602, Indraprasth Corporate,
Opp. Shell Petrop Pump – Opp. Vinus Atlantis,
Prahladnagar, Ahmedabad - 380015
Email: bhumika.patel@ashishinfracon.com
bijendra.patel@ashishinfracon.com
Phone – 9099915590/91

Sub: 1) **Upgradation of Ratlam-Bajna-Kushalgarh Road (Upto Rajasthan Border) Length 56.00 Km. Online Tender No. – 27635, NIT No. 03 Date 25-04-2016**
2) **PAC – Rs. 10974.07 Lacs**
3) **Sanction Rate 24.42% Below Road SOR W.E.F. 03-11-2014**

Ref:- Agreement No. 32/ 2016-17

As you have submitted the performance guarantee & addl. performance guarantee executed the agreement as on today i.e. 10/08/2016 with the undersigned on behalf of the governor of M.P. so you are hereby requested to start the work in consultation with the Sub Divisional officer concern and finish the same with in stipulated time limit of 24 months including rainy season from the date of issue of this memo & as per tender agreement.

Encl: Copy of agreement.

Sd/-
Executive Engineer
P.W.D. Division
Ratlam – 457 001 (M.P.)

Endt. No. 2066 /SAC/ 2016-17

Ratlam Dated :- 10/8/16

Copy forwarded to :-

1. The Chief Engineer, P.W.D. Ujjain Zone .
2. The Collector district Ratlam
3. The Employment officer, District Ratlam
4. The Minimum wages inspector, labour Sub-Division Ratlam
5. The Sub-Divisional officer P.W.D. Sub-Division Sailana & Ratlam km 1 to 10 for information and necessary action. The date of commencement and completion of work may be intimated to this office. The agreement No 32/ /2016-17
6. Shri C. P. Dubey & Ramesh Sub-Engineer, Through S.D.O. P.W.D. Sub Division Sailana. Ratlam. Bhwin
7. Auditor Sailana & Ratlam km 1 to 10 of this office.

Encl: Copy of schedule No. 642 dt 17-8-2016

Executive Engineer
P.W.D. Division
Ratlam – 457 001 (M.P.)

TRUE COPY

DIVISIONAL FOREST OFFICER
TERRITORIAL DIVISION
RATLAM (M.P.)

(A.K. JAIN)
S.D.O. SAILANA
DISTT. RATLAM (M.P.)

प्रतिलिपि: माननीय विधायिका
16/8/16 महोदया श्रीमती संगीता चारेल
विधायक सैलाना जिला रतलाम की ओर अवलोकनार्थ हेतु
[illegible] सूचित किया जाता है कि रतलाम-बाजना-कुशलगढ़
मार्ग का [illegible] से सड़क बनाने का कार्यादेश
प्राप्त हुआ है जो आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(129) (3)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग
संभाग रतलाम

web site : www.mp.gov.in/pwdmp email: eepwdratlam@mp.nic.in
Phone- 07412-270437] Fax -232445

रतलाम–बाजना–कुशलगढ़ मार्ग लंबाई 56.00 कि.मी. वर्ष 1980 का निर्मित होकर वनक्षेत्र में 3.75 मीटर चौड़ाई में डामरीकृत था। मार्ग के चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण हेतु वन क्षेत्र में लंबाई 163 मीटर एवं चौड़ाई 5.50 मीटर सी.सी. मार्ग निर्माण कर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में :–

1) उन्नयन कार्य में वन क्षेत्र में उल्लंघित लंबाई – 163 मीटर
2) वन क्षेत्र में उन्नयन कार्य अंतर्गत उल्लंघित कार्य का क्षेत्रफल – 163 x 5.50 = 896.50 वर्गमीटर
3) वन क्षेत्र में पूर्व में किये गये कार्य का क्षेत्रफल – 163 x 3.75 = 611.25 वर्गमीटर
4) शुद्ध उल्लंघित क्षेत्रफल – 896.50–611.25=285.25 वर्गमीटर

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम

TRUE COPY

DIVISIONAL FOREST OFFICER
TERRITORIAL DIVISION
RATLAM (M.P.)

130 (2)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग
संभाग रतलाम

web site : www.mp.gov.in/pwdmp email: eepwdratlam@mp.nic.in
Phone- 07412-270437, Fax -232445

क्रमांक 1847/स्थापना/21–22 रतलाम, दिनांक 06/05/2022

कारण बताओं सूचना–पत्र

प्रति,

श्री रमेश भूरिया
उपयंत्री
लोक निर्माण विभाग
उपसंभाग सैलाना

विषयः– संभाग अंतर्गत रतलाम–बाजना–कुलशगढ़ मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण हेतु 3.376 हेक्टेयर वनभूमि में निर्माण कार्य के संबंध में।

****

उपरोक्त विषयांतर्गत रतलाम–बाजना–कुलशगढ़ मार्ग निर्माण के दौरान आपके द्वारा वनक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी–150 में बिना अनुमति के पूर्व विद्यमान चौड़ाई 3.75 मी. से अधिक चौड़ाई 5.50 मी. एवं लंबाई 163 मीटर में सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य सम्पादित किये जाने का कृत्य किया गया है। जबकि आपको उक्त मार्ग में वनक्षेत्र होने की सूचना तत्काल विभाग को दी जानी थी एवं कार्य वनक्षेत्र के पूर्व यथास्थिति में रोक दिया जाना था, ताकि विभाग द्वारा वनक्षेत्र में कार्य किये जाने की विधिवत अनुमति के संबंध में प्रक्रिया का पालन किया जाता।

आपके इस कृत्य ने अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी बना लिया है। क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम –1965 के नियम 3 के तहत कार्यवाही एवं आगामी 02 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने की कार्यवाही की जावें।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण 15 दिवस में प्रस्तुत करें।

06/05/22
कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम (म.प्र.)

Received
6/5/2022

TRUE COPY

DIVISIONAL FOREST OFFICER
TERRITORIAL DIVISION
RATLAM (M.P.)

Z:\Sthapna-M\Letter 2.docx

131 (5)

प्रति,

कार्यपालन यंत्री महोदय,
लोक निर्माण विभाग
संभाग रतलाम

विषयः— संभाग अंतर्गत रतलाम—बाजना—कुलशगढ़ मार्ग चौड़ीकरण / उन्नयनीकरण हेतु 3.376 हेक्टेयर वनभूमि में निर्माण कार्य के संबंध में जारी कारण बताओं सूचना पत्र का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत्।

संदर्भः— आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1847 / स्था / 22—23 दिनांक 06.05.2022

****

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि स्पष्ट है कि रतलाम—बाजना—कुलशगढ़ मार्ग लोक निर्माण विभाग का वर्ष 1980 के पूर्व का निर्मित होकर मुख्य जिला मार्ग की श्रेणी का अंतर्राज्यीय मार्ग है, जिसमें नवीन निर्माण कार्य न करते हुए केवल उन्नयन कार्य वर्ष 2017 में किया गया है। जबकि वन विभाग द्वारा वर्ष 2018 में कक्ष क्रमांक पी.एफ.—150 में 0.089 हेक्टेयर वनभूमि होने की जानकारी दी गई। यदि उक्त कक्ष में विभाग को वनक्षेत्र की जानकारी पूर्व से होती तो, लोक निर्माण विभाग द्वारा यह त्रुटि नहीं की जाती एवं कार्य को तुरंत बंद कर कार्य करने की विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुमति प्राप्त कर निर्माण कार्य किया जाता। वनक्षेत्र होने की जानकारी प्राप्त होने पर विधिवत अनुमति प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए, आवेदन किया गया है। अनुमति का प्रकरण प्रचलन में है।

मेरे द्वारा भविष्य में बिना अनुमति के वनक्षेत्र में कार्य कराने की पुर्नावृत्ति नहीं होगी। अतः मुझे जारी किए गए कारण बताओं सूचना पत्र का स्पष्टीकरण आपकी ओर प्रस्तुत है।

20/05/2022
(रमेश भूरिया)
उपयंत्री
लो.नि.वि. उपसंभाग सैलाना

TRUE COPY
DIVISIONAL FOREST OFFICER
TERRITORIAL DIVISION
RATLAM (M.P.)

(6)

(132)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, रतलाम

सागोद रोड़, रतलाम (म.प्र.)

टेलीफैक्स नं. (07412) 270418 E-mail Address - dfotrtlam@mp.gov.in

"कारण बताओं सूचना पत्र"

क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 1521 रतलाम, दिनांक : 10/5/18

प्रति,

श्री किशनसिंह तॅवर,
वन परिक्षेत्र सहायक
वन परिक्षेत्र, रतलाम

द्वारा :– वन परिक्षेत्राधिकारी, परिक्षेत्र रतलाम।
विषय :– कारण बताओं सूचना पत्र।
संदर्भ :– वन परिक्षेत्राधिकारी, रतलाम का पत्र क्रमांक / 525 दिनांक 02–03–18

—0—

उपरोक्त विषयांकित संदर्भ में लेख है कि आपके वृत्त रतलाम के बीट पलसोड़ी वन कक्ष क्रमांक पी–150 में पूर्व प्रचलित रतलाम–बाजना मार्ग की वनक्षेत्र में चौड़ाई 5.50 मीटर साईड सोल्डर घाट कटिंग दो–दो मी. लम्बाई 163 मीटर वनक्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा डामरीकरण रोड़ के स्थान पर नवीन सी.सी. रोड़ का निर्माण कार्य किया गया, जो म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ–5 / 6 / 05 / 10–3 दिनांक 10 जून 2003 के अनुसार (1) वनक्षेत्र से गुजर रहे मार्गो की वर्तमान चौड़ाई में ही कार्य किया जावेगा। (2) किसी भी वृक्ष को काटा नही जावेगा। (3) वनक्षेत्र को कही पर भी तोड़ा नही जावेगा। इस विभाग की बगैर स्वीकृति के निर्माण किया गया है, जो गैर वानिकी कार्य की श्रेणी में होकर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लघन की श्रेणी में आता है। इस संबंध में आपके द्वारा आज दिनांक तक आपने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में नही लाया गया है। ओर ना ही निर्माण करने वाली एजेन्सी के विरूद्ध आज पर्यन्त कोई कार्यवाही की गई है। इस कार्यालय द्वारा अवगत कराने पर मात्र पंचनामा बनाकर प्रस्तुत किया गया है, जो आपके कृर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम प्रावधानों के विपरित होकर दण्डनिय है।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1960 के नियम अन्तर्गत निहित प्रावधानों के अनुरूप आपका कार्य शासन विरूद्ध किये जाने से दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जावे एवं आपके विरूद्ध अनुशानात्क कार्यवाही की जावे।

इस संबंध में आप अपना कारण बाताओं सूचना पत्र का प्रतिउत्तर एक सप्ताह में प्रस्तुत करें, अन्यथा समयावधि पश्चात् एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर वरिष्ठ कार्यालय को सूचित किया जावेगा।

TRUE COPY

पी.जी. फुलझेले
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

DIVISIONAL FOREST OFFICER
TERRITORIAL DIVISION
RATLAM (M.P.)

क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 1522 रतलाम, दिनांक : 10/5/18

प्रतिलिपि –

01 वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र, रतलाम की ओर लेख है कि संबंधित को एक प्रति वितरित कर प्राप्ति अभिस्वीकृति दिनांक सहित इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

02 वन परिक्षेत्राधिकारी, रतलाम की ओर सूचनार्थ।

03 स्थापना शाखा, सामान्य वनमण्डल, रतलाम की ओर सूचनार्थ।

पी.जी. फुलझेले
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, रतलाम

सागोद रोड़, रतलाम (म.प्र.)

टैलीफैक्स नं. (07412) 270418 E-mail Address - dfotrtlam@mp.gov.in

139 (7)

"कारण बताओं सूचना पत्र"

क्रमांक/मा.चि./2018/1523 रतलाम, दिनांक 10/5/18

प्रति,

श्री बेनेडिक्ट एंथोनी,
वनरक्षक बीट पलसोड़ी
वन परिक्षेत्र, रतलाम

द्वारा :— वन परिक्षेत्राधिकारी, परिक्षेत्र रतलाम।
विषय :— कारण बताओं सूचना पत्र।
संदर्भ :— वन परिक्षेत्राधिकारी, रतलाम का पत्र क्रमांक/525 दिनांक 02—03—18

—0—

उपरोक्त विषयांकित संदर्भ में लेख है कि आपकी बीट पलसोड़ी वन कक्ष क्रमांक पी—150 में पूर्व प्रचलित चौड़ाई 03 मीटर रतलाम—बाजना मार्ग की वनक्षेत्र में चौड़ाई 5.50 मीटर साईड सोल्डर घाट कटिंग दो—दो मी. लम्बाई 163 मीटर वनक्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा डामरीकरण रोड़ के स्थान पर नवीन सी.सी. रोड़ का निर्माण कार्य किया गया, जो म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ—5/6/05/10—3 दिनांक 10 जून 2003 के अनुसार (1) वनक्षेत्र से गुजर रहे मार्गो की वर्तमान चौड़ाई में ही कार्य किया जावेगा। (2) किसी भी वृक्ष को काटा नही जावेगा। (3) वनक्षेत्र को कही पर भी तोड़ा नही जावेगा। इस विभाग की बगैर स्वीकृति के निर्माण किया गया है, जो गैर वानिकी कार्य की श्रेणी में होकर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लघन की श्रेणी में आता है। इस संबंध में आपके द्वारा आज दिनांक तक आपने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में नही लाया गया है। ओर ना ही निर्माण करने वाली एजेन्सी के विरूद्ध आज पर्यन्त कोई कार्यवाही की गई है। इस कार्यालय द्वारा अवगत कराने पर मात्र पंचनामा बनाकर प्रस्तुत किया गया है, जो आपके कृर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम प्रावधानों के विपरित होकर दण्डनिय है।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1960 के नियम अन्तर्गत निहित प्रावधानों के अनुरूप आपका कार्य शासन विरूद्ध किये जाने से एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जावे एवं आपके विरूद्ध अनुशानात्क कार्यवाही की जावे।

इस संबंध में आप अपना कारण बाताओं सूचना पत्र का प्रतिउत्तर एक सप्ताह में प्रस्तुत करें, अन्यथा समयावधि पश्चात् एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर वरिष्ठ कार्यालय को सूचित किया जावेगा।

TRUE COPY

पी.जी. फुलझेले
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

DIVISIONAL FOREST OFFICER
TERRITORIAL DIVISION
RATLAM (M.P.)

क्रमांक/मा.चि./2018/1524 रतलाम, दिनांक : 10/5/18

प्रतिलिपि —

01 वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र, रतलाम की ओर लेख है कि संबंधित को एक प्रति वितरित कर प्राप्ति अभिस्वीकृति दिनांक सहित इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

02 वन परिक्षेत्राधिकारी, रतलाम की ओर सूचनार्थ।

03 स्थापना शाखा, सामान्य वनमण्डल, रतलाम की ओर सूचनार्थ।

पी.जी. फुलझेले
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रतलाम

सागोद रोड़, रतलाम (म.प्र.)

टैलीफैक्स नं. (07412) 270418 E-mail Address - dfotrtlam@mp.gov.in

(8) 134

क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 1401 रतलाम, दिनांक 03-05-2018

प्रति,

श्री ए.के. नागोरिया,
वन परिक्षेत्राधिकारी, (प्र0 प्रभार रतलाम)
सैलाना

विषय :— रतलाम बाजना कुशलगढ़ रोड़ (राजस्थान सीमा तक) लम्बाई 36 कि.मी. निर्माण कार्य बाबत्।

संदर्भ :— वन परिक्षेत्राधिकारी, रतलाम का पत्र क्र./मा.चि./2017/2209 दिनांक 15-12-2017 एवं 525 दिनांक 21-03-2018

—0—

उपरोक्त विषयांकित संदर्भ में लेख है कि रतलाम बाजना मार्ग बीट पलसोड़ी वन कक्ष क्रमांक पी–150 से गुजरता है। वन परिक्षेत्र, रतलाम को आपके द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में जो रोड 24–10–1980 के पूर्व मार्ग होने से गत वर्ष तक लगातार रोड़ का मरम्मत (मेटेनेस) कोलतार रोड़ निर्माण कार्य कई बार किया जा चुका है, जो किया जा सकता है। किन्तु उक्त रोड़ की पूर्व चौड़ाई 3 मीटर लगभग डामरीकरण रोड़ को तोड़ कर वर्तमान सी.सी.रोड़ 5.50 मीटर दो–दो मीटर साईट सोल्डर कार्य बिना इस विभाग के निर्माण होना पाया गया है। जो म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–5/6/05/10–3 दिनांक 10 जून 2003 के अनुसार (1) वनक्षेत्र से गुजर रहे मार्गो की वर्तमान चौड़ाई में ही कार्य किया जावेगा। (2) किसी भी वृक्ष को काटा नही जावेगा। (3) वनक्षेत्र को कही पर भी तोड़ा नही जावेगा। किन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा 163 मी. लम्बाई में चौड़ाई 5.50 मी. बढ़ाई गई है, एवं दो–दो मीटर साईड सोल्डर घाट कंटिग कर निर्माण कार्य किया गया है। जिसे आपके द्वारा इस कार्यालय को सूचित किये बिना निर्माण कार्य होने दिया जिससे आवेदक विभाग द्वारा बिना वन संरक्षण, 1980 के तहत स्वीकृति के उक्त गैर वानिकी कार्य किया गया है, जो उल्लघन की श्रेणी में आता है। इस संबंध में आपने अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही की जाकर कदाचार की श्रेणी में कार्य किया गया है।

अतः आप इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 1402 **TRUE COPY** रतलाम, दिनांक : 03-05-2018

प्रतिलिपि :—

01 मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, उज्जैन वृत्त, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

DIVISIONAL FOREST OFFICER
TERRITORIAL DIVISION
RATLAM (M.P.)

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

(135) (9)

प्रति,

रतलाम दि. 22.05.2018

श्री मान् वन मडलाधिकारी महोदय
सामान्य वनमण्डल रतलाम (म. प्र.)

द्वाराः– योग्यमार्ग

विषयः– कारण बताओ सुचना पत्र का प्रति उत्तर

संदर्भः– आपका कारण बताओ सुचना पत्र क्र. / मा.चि / 2018 / 1521 दि.10.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है, कि सब रेंज रतलाम अंतर्गत बीट पलसोडी वनकक्ष क्रमांक पी–150 में पूर्व प्रचलित रतलाम बाजना मार्ग की वनक्षेत्र में चौडाई 5.50 मीटर साईड सोल्डर घाट कटिंग दो–दो मीटर लंबाई 163 मीटर वनक्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा डामरीकरण रोड के स्थान पर नवीन सी.सी रोड निर्माण कार्य किया गया इसके संबंध मेंश्री मान जी द्वारा कारण बताओ सुचना पत्र संदर्भित पत्र से जारी किया गया है।

अतः मैरा श्री मान जी से निवेदन है कि रतलाम बाजना कुशलगढ रोड (राजस्थान सीमा तक) लंबाई 56 की.मी. मार्ग बीट पलसोंडी के वन कक्ष पी–150 से गुजरता है। जो की रोड़ दिनांक 24.10.1980 के पूर्व भी लगभग 75 वर्ष से अधिक समय से बना हुआ, होकर चालू रोड़ हे। लोक निर्माण विभाग द्वारा संन 1980 के पूर्व से गतवर्ष तक समय–समय पर मरम्मत एवं डामरीकरण कार्य कई बार किया जाता रहा है। निर्माण ऐजेंसी द्वारा डामरीकरण एवं रोड़ साईड की पट्टीयों पर सी.सी. रोड़ निर्माण किया गया । जिसमें वन क्षेत्र से गुजर रहे मार्ग की पूर्व से चोडाई के अनुसार ही वर्तमान चौडाई में कार्य किया गया है। इस कार्य के दौरान किसी भी वृक्ष की कटाई नही हुई एवं न ही किसी प्रकार की वन क्षेत्र में तोडफोड़ की गई । इस संबंध में मेरा प्रतिउत्तर श्रीमान् की और प्रेषित है। मुझ प्रार्थी के कारण बताओ सुचना पत्र को मान्य करते हुए कार्यवाही निरस्त करने की कृपा करें। मैं श्रीमान जी का आभारी रहुगा।

460
12/6/18

5102
12/6/18

प्रार्थी

12/6/18 (किशनसिंह तंवर)
(परिक्षेत्र सहायक रतलाम)

864

मूलतः श्रीमान वनमंडलाधिकारी महो. रतलाम (सा.) की ओर प्रार्थी प. स. रतलाम का कारण बताओ सूचना पत्र सादर प्रेषित है

TRUE COPY

वन परिक्षेत्राधिकारी
रतलाम (म.प्र.)

DIVISIONAL FOREST OFFICER
TERRITORIAL DIVISION
RATLAM (M.P.)

12/6

// कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी सैलाना //

रतलाम बांसवाड़ा रोड़ सैलाना रतलाम (म.प्र.)

टैलीफोन नं. 07413-279084 E-mail Address - Rotsailana@mp.gov.in

क्रमांक / 2018 / ....1345.... सैलाना, दिनांक : ....06....-07-2018

प्रति ,

वनमण्डलाधिकारी महोदय
सामान्य वनमण्डल रतलाम

विषयः- रतलाम बाजना कुशलगढ़ रोड़ (राजस्थान सीमा तक) लम्बाई 36 कि.मी. निर्माण कार्य बाबत्।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 1401 दिनांक 03-05-2018।

-- 00 --

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे अतिरिक्त प्रभार की परिक्षेत्र रतलाम के अंतर्गत रतलाम बाजना कुशलगढ़ मार्ग बीट पलसोडी वनकक्ष क्रमांक पी-150 से गुजरता है। उक्त मार्ग 24-10-1980 के पूर्व का होकर अंतराज्जीय मार्ग की पूर्व स्थिति 12 मीटर से भी अधिक चौडाई में निकला हुआ था जिस पर 04 मीटर चौडाई में डामरीकरण कोलतार रोड था। मेरे परिक्षेत्र रतलाम के प्रभार अवधि 25.09.2017 तक बगैर कोई खुदाई / खनन् के सीमेंट कांक्रिट रोड निर्माण हुआ है, मार्ग में 25.09.2017 तक कोई घाट कटिंग कार्य नहीं हुआ था ओर ना ही इस बाबत् कोई सुचना या प्रतिवेदन बीटगार्ड श्री एन्थोनी या परिक्षेत्र सहायक श्री किशनसिंह तंवर नहीं दी गयी है। पूर्व से तैयार आवागमन मार्ग पर ही रोड निर्माण ऐजेंसी द्वारा 5.50 मीटर चौडाई में सीमेंट कांक्रिट रोड निर्माण किया गया है, मेरे प्रभार अवधि 25.09.2017 तक वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं हुआ। मैने अपने कर्तव्यों का पूंर्ण निष्ठा एवं तत्परता से बगैर किसी लापरवाही के निर्वहन किया है।

अतः श्रीमान की सेवा में स्पष्टीकरण सादर प्रेषित है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
सैलाना

4805
7/7/18

क्रमांक / 2018 / .... सैलाना / दिनांक ....-07-2018

प्रतिलिपि ,

01- श्रीमान मुख्य संरक्षक महोदय उज्जैन वृत्त उज्जैन की सेवा में सादर प्रेषित है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
सैलाना

TRUE COPY

DIVISIONAL FOREST OFFICER
TERRITORIAL DIVISION
RATLAM (M.P.)

F:\YEAR 2018\Cavring Letter 2018\Range Office Sailana\Manchitra Shakha 2018.doc